List of Boards, Council, Committees

(जयपुर डिस्कॉम से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण)

जयपुर डिस्कॉम से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है–

अंशधारक–

जयपुर डिस्कॉम की स्थापना सार्वजनिक कम्पनी के रूप में की गयी हैं। वर्तमान में इसकी अधिकृत अंश पूंजी 20000 करोड रूपये हैं। जयपुर डिस्कॉम की समस्त अंश पूंजी राजस्थान सरकार के पास तथा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के पास हैं। राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के पास केवल 10–10 रूपयें का एक अंश पूंजी हैं। अतः व्यवहारिक रूप से जयपुर डिस्कॉम की सारी अंश पूंजी राजस्थान सरकार में ही निहित हैं।

कम्पनी अधिनियम के तहत अंशधारको को जो शक्तियां प्रदत्त हैं उनके अनुसार ही अंशधारकों की साधारण सभा कार्य करती हैं। जयपुर डिस्कॉम की समस्त 100 % चुकता पूंजी राजस्थान सरकार के पास होने के कारण, आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के तहत राज्य सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।

वार्षिक खातों को अंतिम रूप से अंशधारकों की सभा द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इनके अतिरिक्त जो विषय निदेशक मण्डल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं उन विषयों पर अंशधारको द्वारा लिया जाता हैं।

निदेशक मण्डल–

जयपुर डिस्कॉम का संचालन कम्पनी अधिनियम के तहत निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता हैं। निदेशक मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। निगम वेबसाइट के लिंक (https://energy.rajasthan.gov.in/content/raj/energy-department/jaipur-vidyut-vitran-nigam-ltd-/en/about-us/bod.html) बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स के अर्न्तगत उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम के तहत निदेशक मंडल की कार्यशक्तियां निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार निदेशक मण्डल की बैठकों में निर्णय लिये जाते हैं।

7.1 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का संक्षिप्त विवरण ।

संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर
संबंद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत पंजीकृत कम्पनी
संबंद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थपना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य)	ज.वि.वि.नि.लि की स्थपना 19.06.2000 को की गई एवं व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र ROC द्वारा 06.07.2000 को जारी किया गया। निगम का मुख्य

	उद्देश्य आम नागरिक को बिजली उपलब्ध करवाना और गांव का विद्युतीकरण करना तथा वोल्टेज रेग्यूलेशन बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य करना है। जिससे उत्तम गुणवत्ता की बिजली आम उपभोक्ता को उपलब्ध करायी जा सकें।
संबंद्ध संस्था को भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबंधकारिणी / कार्यकारिणी / अन्य)	प्रबन्ध कारिणी (निदेशक मण्डल)
वर्तमान में अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशक के पद	1. अध्यक्ष 2. प्रबन्ध निदेशक 3. निदेशक (वित्त) 4. निदेशक (तकनीकी) वर्तमान आद्यतन सूची निगम वेबसाइट के लिंक (https://energy.rajasthan.gov.in/content/raj/energydepartment/jaipur-vidyut-vitran-nigam-ltd-/en/about-us/bod.html) बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स में अर्न्तगत उपलब्ध है।
मुख्य अधिकारी का नाम	प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मुख्य कार्यालय का पता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर
बैठक की आवृत्ति	कम्पनी अधिनियम के तहत
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती हैं ?	नहीं
क्या बैठक के कार्यवृत (Minutes) ?	हां
क्या जनता बैठक का कर्यवृत प्राप्ति कर सकती है? अगर हां, तो प्रकिया का विवरण दें।	हां, सूचना के अधिकार 2005 के अधिनियम के अनुसार